

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक एफ. 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/ 898

दिनांक: 23/11/26

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- नगरपालिका आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों की कार्यकारी प्रतियाँ तैयार करने बाबत।

महोदय,

आयोग के पूर्व पत्र 3705-06 दिनांक 02.09.2014 को अधिकृत करते हुए नगरपालिका आम चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन हो जाने के बाद प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भागों से पांच कार्यकारी प्रतियाँ (Working copies) तैयार की जाएंगी। निर्वाचक नामावली की तैयार की गई पांच कार्यकारी प्रतियों को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाएगा :-

1. 3 प्रतियाँ मतदान दल के लिये जारी की जाएंगी, जिनका उपयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा :-
 - (i) एक प्रति पीठासीन अधिकारी हेतु।
 - (ii) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रथम मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान हेतु।
 - (iii) एक प्रति द्वितीय मतदान अधिकारी हेतु।
2. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी हेतु।
3. एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय उपयोग हेतु।

प्रत्येक मतदान केन्द्र की कार्यकारी प्रति तैयार करने के लिये आपको निम्नांकित कार्य करने हैं :-

1. यह सुनिश्चित कर लें कि जिन मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, उनके क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के सुसंगत भाग उनकी प्रत्येक अनुपूरक सूची (यदि कोई हो) सहित समस्त प्रकार से पूर्ण हो।
2. अनुपूरक सूचियों के अनुसार समस्त प्रतियों में हटाये जाने वाले नाम काट दिये जायें, परन्तु मतदाताओं की कम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये अर्थात्, मुद्रित कम संख्या को शुद्ध नहीं किया जाये और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये जायें।
3. अनुपूरक शुद्धि की सूचियों के अनुसार निर्वाचक नामावली में शुद्धियाँ कर दी जायें।
4. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 17, 17-ए, 17-बी एवं 18 के प्रावधानों के अनुसार कोई नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को संशोधित करने, अंतरित करने या हटा दिए जाने बाबत यदि कोई आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो, उसके अनुरूप अंकन समस्त कार्यकारी प्रतियों में होना सुनिश्चित किया जावे, लेकिन नियम 10(6) के अधीन नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद तथा निर्वाचन की समाप्ति तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।
5. नामावली की प्रत्येक कार्यकारी प्रति के समस्त पृष्ठ, मूल प्रति के अनुसार कम संख्या-1 के अनुक्रम में संख्यांकित हों।
6. पुरुष, महिला और अन्य तथा कुल मतदाताओं की संख्या की गणना कर अंकन कराया जावे।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र (जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, और पदनाम की सील अंकित होगी) संलग्न किया जाएगा:-

“प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मतदान केन्द्र की कार्यकारी मतदाता सूची मेरी देखरेख में सही-सही तैयार की गई है, जिसमें पूरक सूची में दर्शित विलोपन होने वाले नामों को स्याही से काट दिया गया है। क्रम संख्या नहीं बदली गई है तथा शुद्ध होने वाली प्रविष्टियों को शुद्ध कर दिया गया है।”

8. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और सील अंकित होनी चाहिये तथा इस प्रकार हस्ताक्षरित निर्वाचक नामावली ही प्रमाणित प्रति मानी जायेगी।

भवदीय

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/ 899-903

दिनांक : 23/01/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (नगरपालिका) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल करवाने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव